मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

क्रमांक एफ 2–14/2019/सात–7/546 भोपाल, दिनांक 01/12/2022

प्रति,

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के की धारा 165 के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2–14/2019/सात/ शा. 7 दिनांक 29 अक्टूबर 2019।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के उपबंध अनुसार प्रत्येक भूमिस्वामी को अपनी भूमि में के हित अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें कतिपय प्रतिबंध भी है। इन्हीं प्रतिबंधों के क्रम में एक प्रतिबंध उपधारा (6) के खण्ड (दो) में तथा ऐसा ही एक प्रतिबंध उपधारा (7ख) में है, जिसके अनुसार कतिपय मामलों में अंतरण के पूर्व अनुज्ञा का प्रावधान है। भूमि अंतरित करने के लिए यह अनुज्ञा ऐसे राजस्व अधिकारी से प्राप्त किया जाना उपबंधित है जो कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी (not below the rank of Collector) का हो।

3/ यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भूमि अंतरण के ऐसे मामले जो आदिम जनजाति वर्ग के भूमिस्वामियों से संबंधित है तथा अधिसूचित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र के है, उनमें यदि कोई आदिम जनजाति का भूमिस्वामी गैर आदिमजनजाति के पक्ष में भूमि अंतरित करना चाहता है अथवा ऐसे भूमिस्वामी जो धारा 158 (3) वर्ग के है वे अपनी भूमि अंतरित करना चाहते है, उन्हें अंतरण के पूर्व राजस्व अधिकारी जो कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का हो की अनुज्ञा लेना होगी। ऐसी अनुज्ञा केवल कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है, अपर कलेक्टर द्वारा नहीं, क्योंकि संहिता की धारा 12 के अनुसार अपर कलेक्टर, कलेक्टर के अधीनस्थ श्रेणी क़ा राजस्व अधिकारी है।

अतएव कलेक्टर द्वारा उनके एवं अपर कलेक्टर के मध्य कार्यविभाजन करते समय उक्त विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यवाही की जावे।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृष्ठ क्रमांक एफ 2–14/2019/सात–7/547 भोपाल, दिनांक 01/12/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त संभागायुक्त/अपर आयुक्त।
4. गार्ड फाइल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Letter to collector

Scanned with OKEN Scanner